# **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।**

**पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024** **दिनांक 25/05//2024**

**सेवा में,**

**अपर पुलिस महानिदेशक,**
**वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।**

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 24.05.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. थाना गहमर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अदद पिकअप गाडी में लदे हुए 04 राशि गाय व 02 राशि बछिया के साथ 05 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जमानिया के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 24.05.2024 को थाना गहमर के उ0नि0 शिवपूजन बिन्द चौकी प्रभारी देवल थाना गहमर गाजीपुर मय हमराह के देवल तिराहा के पास थाना गहमर गाजीपुर से अभियुक्तगण 1. प्रमोद साव पुत्र स्व0 कारु साव निवासी काली सराय काली पहाड़ी जयनगर थाना लखीसराय जिला लखीसराय बिहार 2. दीपक साव पुत्र स्व0 नन्द किशोर साव निवासी अलीनगर थाना सुर्जगढा जिला लखीसराय बिहार 3.मुकेश साव पुत्र जागो साव निवासी वलीपुर थाना पिप्परिया जिला लखीसराय बिहार 4. राजकुमार पुत्र विनोद साव निवासी जयनगर काली पहाड़ी वार्ड नं0 33 लखीसराय थाना लखीसराय जिला लखीसराय बिहार 5. मुकेश कुमार पुत्र गोकरन लाल निवासी मडाहरि थाना महोली देहात जिला सीतापुर के कब्जे से एक पिकअप मे 04 राशि गाय व 02 राशि बछडा बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 4785/2024 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-पता:-**

1. प्रमोद साव पुत्र स्व0 कारु साव निवासी काली सराय काली पहाड़ी जयनगर थाना लखीसराय जिला लखीसराय बिहार

2. दीपक साव पुत्र स्व0 नन्द किशोर साव निवासी अलीनगर थाना सुर्जगढा जिला लखीसराय बिहार 3.मुकेश साव पुत्र जागो साव निवासी वलीपुर थाना पिप्परिया जिला लखीसराय बिहार

4. राजकुमार पुत्र विनोद साव निवासी जयनगर काली पहाड़ी वार्ड नं0 33 लखीसराय थाना लखीसराय जिला लखीसराय बिहार।

5. मुकेश कुमार पुत्र गोकरन लाल निवासी मडाहरि थाना महोली देहात जिला सीतापुर

**बरामदगी का विवरण –**

अभि0गण के कब्जे से एक अदद पिकअप गाडी मे 04 राशि गाय व 02 राशि बछडा बरामद हुआ।

**गिरफ्तारी का विवरण –**

गिरफ्तारी का दिनांक 23.05.2024 समय 15.30 बजे देवल तिराहे के पास थाना गहमर गाजीपुर

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास—**

मु0अ0सं0 85/2024 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना गहमर जनपद गाजीपुर

## 02. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा एक बण्डल बिजली का केबल तार के साथ 03 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी भुडकुडा के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.05.2024 को **उ0नि0 श्री लालता प्रसाद यादव मय हमराह** के साथ क्षेत्र मे देखभाल क्षेत्र रोकथाम जूर्म जरायम तथा रात्रि गस्त मे मामूर थे कि मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि **तीन व्यक्ति** नाला पुलिया **बहद ग्राम बडहरा के पास खड़े है। जिनके पास चोरी के बिजली केबल तार है। जिसे वे लोग बेचने के लिए कही ले जा रहे है।** मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त गण 1. प्रदीप चौहान पुत्र स्व0 प्यारे लाल चौहान, 2. अजीत चौहन उर्फ आशुतोष पुत्र इन्द्रजीत चौहान, 3. नीरज यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी गण ग्राम बड़हरा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर को पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्त गण के कब्जे से दिनांक-22/23.05.2024 की रात्रि में चोरी गये बिलजी के केबल बरामद हुए। **तत्पश्चात मौके पर ही** वादी मुकदमा श्री कमलेश पासवान पुत्र श्री स्व0 शिवबचन पासवान ग्राम बड़हरा पो0तुरना थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर **को जरिए दूरभाष वार्ता कर मौके पर बुलाया गया जो उपस्थित आये तथा बरामद सामान की पहचान कर बताये कि यहीं केबल तार है जो** ग्राम पंचायत सचिवलाय मे विजली व्यवस्था हेतु लगाया गया था। जो **दिनांक 22/23.05.2024 की रात्रि में मेरे** ग्राम पंचायत सचिवलाय से **चोरी हुआ था। जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा थाना नन्दगंज पर** मु0अ0सं0 85/2024 धारा **379** भा0द0वि0 में अभियोग पंजीकृत करवाया है। **गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर** गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण के विरूद्ध धारा 411 भा0द0वि0 की बढोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण का नाम व पता** -

1. प्रदीप चौहान पुत्र स्व0 प्यारे लाल चौहान निवासी ग्राम बड़हरा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष
2. अजीत चौहन उर्फ आशुतोष पुत्र इन्द्रजीत चौहान निवासी ग्राम बड़हरा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष
3. नीरज यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी ग्राम बड़हरा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

**बरामदगी-**

एक बण्डल बिजली का केबल (अनुमानित मूल्य- 3,500 रूपये)

**पुलिस अधीक्षक**
**गाजीपुर**